"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016 — चैत्र 3, शक 1938

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. नियम 2 के उप-नियम (1) में,-

(क) खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"(ञञ) **"नीलामी राशि"** से अभिप्रेत है बोलीदार द्वारा पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को रुपये प्रति घनमीटर/प्रति मीट्रिक टन अथवा अन्य किसी मानक इकाई के आधार पर भुगतान किये जाने वाला उद्धृत मूल्य;"

(ख) खण्ड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ढढ) **"समेकित अनुज्ञप्ति"** से अभिप्रेत है नियम 7 के अधीन स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-उत्खनिपट्टा;"

(ग) खण्ड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(धध) "**इलेक्ट्रॉनिक नीलामी**" से अभिप्रेत है ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो, जिसमें बोली बढ़ते क्रम में गतिशील दो चरण प्रक्रिया में होगी, जैसा कि इन नियमों के अधीन व्याख्या की गयी है;

"(धधध) "**इलेक्ट्रॉनिक निविदा**" से अभिप्रेत है ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से निविदा, जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो, जिसमें बोली एक परिमित समय-सीमा के भीतर बोलियों को प्रस्तुत करना शामिल है, जैसा कि इन नियमों के अधीन व्याख्या की गयी है;"

(घ) खण्ड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(पप) "**आधार मूल्य**" से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के प्रथम चरण में तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों के बीच उच्चतम आरंभिक मूल्य प्रस्थापना और वह एक राशि, जो पट्टा क्षेत्र से प्रति माह निकासी किये गये खनिज का रुपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी;"

(ङ) खण्ड (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(बब) "**आरंभिक कीमत प्रस्थापना**" से अभिप्रेत है इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के प्रथम चरण में बोलीदार द्वारा प्रस्तुत आरंभिक प्रस्थापना और वह एक राशि, जो पट्टा क्षेत्र से प्रति माह निकासी किये गये खनिज का रुपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी;"

(च) खण्ड (कङ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(कङङ) "**अधिमानी बोलीदार**" से अभिप्रेत है नियम 9 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (नौ), नियम 9क के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (पांच), नियम 39 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (नौ) एवं नियम 39क के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (पांच) में निर्दिष्ट बोलीदार;"

(छ) खण्ड (कच) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(कचच) "**पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह उत्खनि पट्टा**" से अभिप्रेत है द्विस्तरीय रियायत, जो कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के माध्यम से पूर्वेक्षण संक्रियाएं करने के उपरांत उत्खनन पट्टे के माध्यम से गौण खनिज की खनन संक्रियाएं संचालित करने के उद्देश्य से स्वीकृत है;"

(ज) खण्ड (कज) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(कजज) "**अर्हित बोलीदार**" से अभिप्रेत है नियम 9 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (आठ), नियम 9क के उप-नियम (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो), नियम 39 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (छ:) एवं नियम 39क के उप-नियम (2) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) में निर्दिष्ट बोलीदार;"

(झ) खण्ड (कञ) में, शब्द "पट्टा" के स्थान पर, शब्द "खनन पट्टा" प्रतिस्थापित किया जाये।

(ञ) खण्ड (कढ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(कढढ) **"आरक्षित कीमत"** से अभिप्रेत है न्यूनतम कीमत, जिसके ऊपर बोलीदारों को उनकी बोली उद्धृत करनी है और यह कीमत संबंधित खनिज के अधिसूचित स्वामित्व का बीस प्रतिशत होगी, जो कि प्रति माह निकासी किये गये खनिज का रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी, जैसा कि इन नियमों के अधीन यथा परिभाषित;"

(ट) खण्ड (कध) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(कधध) **"सफल बोलीदार"** से अभिप्रेत है नियम 10 के खण्ड (2) तथा नियम 42 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट बोलीदार;"

"(कधधध) **"निविदा दस्तावेज"** से अभिप्रेत है नियम 9 के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (दो), नियम 9क के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (दो), नियम 39 के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (दो) एवं नियम 39क के उप–नियम (2) के खण्ड (घ) के उप–खण्ड (दो) में यथा उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी वेबसाइट अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा वेबसाइट पर प्रकाशित दस्तावेज;"

2. नियम 4 में,—

(क) शब्द "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा समेकित अनुज्ञप्ति" प्रतिस्थापित किये जायें।

(ख) उप–नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(4) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या उत्खनन पट्टा के अनुदान हेतु ग्रामसभा अथवा ग्राम पंचायत की पूर्व अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(5) अनुसूचित क्षेत्रों में, नीलामी से गौण खनिजों के उत्खनन के लिये रियायत अनुदान हेतु ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत की पूर्व अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"

3. नियम 5 में, शब्द "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति" जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या समेकित अनुज्ञप्ति" प्रतिस्थापित किये जायें।

4. अध्याय–तीन के शीर्षक में, शब्द ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान करना'' के स्थान पर, शब्द ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करना'' प्रतिस्थापित किया जाये।

5. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''7. **समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करना.**– (1) समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्तियां,–

(क) इस नियम के प्रावधान अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों पर लागू होगी:

परन्तु यह प्रावधान अनुसूची–एक के भाग–ख और भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये उत्खनन पट्टा पर लागू नहीं होंगे, जिसमें पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर छः मीटर की सीमित गहराई तक खनन् संक्रिया प्रस्तावित की गयी हो।

(ख) राज्य सरकार को अनुसूची–एक के भाग–क एवं ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये, समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्तियाँ, संचालक द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से होंगी।

(ग) संचालक को अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये कलेक्टर द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दस हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्तियाँ होंगी।

(घ) कलेक्टर को अनुसूची–एक के भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये 10 हेक्टेयर क्षेत्र तक की समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्तियाँ इलेक्ट्रॉनिक–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से होंगी।

(2) वर्तमान रियायत धारकों और आवेदकों के अधिकार,–

(क) इस संशोधित नियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिये प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों के अधीन ऐसे आवेदन मान्य होंगे, जिसमें इन संशोधन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व पूर्वेक्षण के लिए सैद्धातिक सहमति का पत्र या स्वीकृति आदेश जारी किया जा चुका है।

(3) समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रारंभिक प्रक्रिया,–

(क) (एक) जिस क्षेत्र में, खनिज की विद्यमानता के पर्याप्त साक्ष्य दर्शित नही हैं, उन क्षेत्रों की स्वप्रेरणा से पहचान, सीमांकन कर तथा उन्हें अधिसूचित कर ऐसे क्षेत्रों को यथा स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी या इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने की शक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी को होगी।

(दो) ऐसे क्षेत्रों जो कि उप–खण्ड (एक) में समाहित नहीं है तथा जिस क्षेत्र में गौण खनिज की उपस्थिति के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है ऐसे क्षेत्रों में समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये प्ररूप–एक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किये जा सकेंगे। अनुसूची–एक के भाग–क एवं भाग–ख में अन्तर्विष्ट खनिजों के लिये आवेदन, संचालक तथा अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में अन्तर्विष्ट खनिजों के लिये आवेदन, कलेक्टर द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।

(ख) सक्षम प्राधिकारी, प्राप्त हुए आवेदनों पर प्राप्ति का दिनांक एवं समय अंकित करेगा और आवेदन प्राप्ति के 60 दिवस की कालावधि के भीतर आवेदित क्षेत्र के लिये यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिये प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी या इलेक्ट्रॉनिक–निविदा को विभागीय वेबसाईट पर अधिसूचित किया जायेगा। यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी या इलेक्ट्रॉनिक–निविदा की अधिसूचना का विवरण संबंधित कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(ग) राज्य शासन, यदि उसकी राय में यह आवश्यक एवं समीचीन हो तो जिला या जिलों में खनिजों के प्रवर्गों के खनिज निक्षेपों के आकार

एवं क्षेत्र के संबंध में निबंधन एवं शर्तें, प्रक्रिया और बोली के मानक विहित करेगा जिसके अधीन इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा बुलाई जाएगीः

परन्तु, किसी विशिष्ट खान अथवा खानों को किसी विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए सुरक्षित करने के लिए निबंधन एवं शर्तों में सम्मिलित किया जायेगा तथा ऐसे शर्तों के अध्यधीन ऐसे योग्य, अंतिम उपभोगी को ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति हो।

(4) समेकित अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन,–

प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ :–

(क) गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क की राशि रूपये पांच हजार। यह शुल्क शासकीय कोष में निम्नलिखित राजस्व प्राप्ति मद में जमा कराना होगा,–

0853 अलौह धातु खनन् एवं धातुकर्म उद्योग

(102) खनिज संबंधी रियायत शुल्क, किराया और रायल्टी

(0278) गौण खनिजों से प्राप्तियॉ

तथा मूल कोष रसीद चालान आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जायेगाः

परन्तु आवेदन शुल्क की राशि को नीलामी/निविदा दस्तावेज की लागत के रूप में जमा की जाने वाली राशि के विरूद्ध समायोजन किया जायेगा।

(ख) प्ररूप–दो में यथा विहित अदेय प्रमाणपत्र, जो राज्य शासन द्वारा इस निमित्त, शासन या किसी अधिकारी या प्राधिकारी से अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अधीन भुगतान योग्य खनन की बकाया राशि जैसे रायल्टी, अनिवार्य भू–भाटक तथा सतह का किराये भुगतान संबंधी, में होगीः

परन्तु यदि आवेदक, कोई भागीदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है तो ऐसा प्रमाणपत्र, यथास्थिति, भागीदारी फर्म के

सभी भागीदारों या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के सभी सदस्यों द्वारा दिया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां विधि के न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसी खनन की वसूली योग्य राशि बकाया या आयकर की वसूली को स्थगित किये जाने का कोई व्यादेश जारी किया गया है वहां उसके भुगतान न होने को उक्त समेकित अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के आशय के लिए निरर्हता नहीं मानी जायेगी:

परन्तु यह और भी कि जहां व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के लिये सक्षम प्राधिकारी के समाधान हेतु शपथ पत्र यह कथन करते हुए प्रस्तुत कर दिया गया है कि वह राज्य में कोई खनिज रियायत धारण नहीं करता है या उसने धारित नहीं की थी तो उसको उक्त अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि सम्यक् रूप से निष्पादित शपथ पत्र यह कथन करते हुए देना होगा कि कोई वसूली योग्य देय राशि बकाया नहीं है इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उपरोक्त अपेक्षित प्रमाण पत्र उस दशा में अवैध हो जायेगा यदि पक्षकार उक्त आवेदन की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है :

परन्तु यह और भी कि ऐसा प्रमाण पत्र धारक को, उपरोक्त अनुमति प्रमाण पत्र की स्वीकृति के लिए खनन की देय राशि के बकाया भुगतान का दायित्व से विमुक्ति नहीं देगा जो कि बाद में, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन उसके द्वारा भुगतान योग्य पाया जाये।

(ग) शपथ पत्र में यह कथन करते हुए कि आवेदक ने,–

(एक) आयकर विवरणी प्रस्तुत कर दी;

(दो) उस पर निर्धारित आयकर का भुगतान कर दिया; और

(तीन) स्व–निर्धारण के आधार पर आयकर का भुगतान कर दिया है, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 (क्र. 43 सन् 1961) में उपबंधित है

(घ) एक शपथ पत्र, राज्य के ऐसे खनिजवार क्षेत्रों की विशिष्टियां दर्शित करते हुए, जो कि आवेदक या उसके साथ संयुक्त रूप से कोई भी व्यक्ति,–

(एक) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति / समेकित अनुज्ञप्ति के अधीन पहले से ही धारण करता है;

(दो) उसके लिए आवेदन किया किन्तु स्वीकृत नहीं हुआ है; और

(तीन) उसके लिए साथ–साथ आवेदन किया जा रहा है।

(ड.) लिखित में कथन कि आवेदक ने उस क्षेत्र में जहां भूमि उसके स्वामित्व में नहीं है, सतह का अधिकार प्राप्त कर लिया है, या पूर्वेक्षण संक्रिया शुरू करने के लिए स्वामी से सहमति प्राप्त कर ली है :

परन्तु यह कि ऐसा कथन, आवश्यक नहीं होगा जहां भूमि शासन के स्वामित्व में है।''

6. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''9. इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये प्रकिया,–

(1) समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए पूर्व अध्यपेक्षायें,–

(क) इन नियमों के उपबंधो के अनुसार सक्षम प्राधिकारी राज्य के भीतर के किसी भी क्षेत्र के लिये एक समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये नीलामी प्रक्रिया की पहल कर सकेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी, नीलामी के संबंध में बोली आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के पूर्व, संबंधित राजस्व अधिकारियों एवं वन अधिकारियों से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ऐसे क्षेत्र की पहचान एवं सीमांकन करेगा जहां नीलामी के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(2) समेकित अनुज्ञप्ति के लिये इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी की प्रक्रिया.–

(क) समेकित अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता,–

(एक) समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी में भाग लेने के प्रयोजन के लिये, आवेदक नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(दो) नीलामी में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण नीलामी में भाग लेने के लिये निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल पात्र बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक नीलामी,–

(एक) नीलामी केवल एक आनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से दो चरणों में अद्यतन बढ़ते क्रम से संचालित किया जायेगा।

(दो) सक्षम प्राधिकारी कोई ऐसे आनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का उपयोग करेंगे जो कि मानकीकरण, जांच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक –उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धातों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(ग) बोली लगाने के लिये मानक,–

(एक) एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे आरक्षित कीमत कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

(दो) बोलीदार द्वारा ''नीलामी राशि'' के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी के लिए निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन/अन्य कोई मानक इकाई आरक्षित कीमत से अधिक राशि उद्धृत की जायेगी।

(तीन) नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में नीलामी की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

(चार) जहां किसी क्षेत्र को एक से अधिक खनिजों के लिये नीलामी किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(पांच) उत्खनन् पट्टा प्रदान किये जाने के पश्चात् यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(घ) बोली लगाने की प्रक्रिया,–

(एक) सक्षम प्राधिकारी, नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये नीलामी की सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर

करेगा। नीलामी हेतु सूचना का विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और ऐसी सूचना में नीलामी के अधीन आने वाले क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,–

(I) संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र की विशिष्टियां, जिसे राजस्व भूमि, वन भूमि और निजी भूमि के रूप में विभाजित किया जायेगा; और

(II) क्षेत्र में खोजे गये सभी खनिजों से संबंधित खनिज पदार्थों के साक्ष्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए नीलामी के दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा,–

(I) क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन और विवरण;

(II) संबंधित राजस्व अधिकारियों के सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र का राजस्व सर्वेक्षण का विवरण, जिसे वन भूमि, राजस्व भूमि विवरण और निजी भूमि के रूप में विभाजित किया जायेगा;

(तीन) बोलीदार को नीलामी के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि प्रदान की जायेगी।

(चार) बोली लगाने की प्रक्रिया, निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के 21 दिन की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। नीलामी एक उच्चगामी आनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी।

(पांच) प्रथम–चरण में बोलीदार को तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्थापना, जो कि आरक्षित कीमत से अधिक होगी, प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोलीदार द्वारा पात्रता की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिये होगा।

(छः) केवल उन्हीं बोलीदारों को जो विहित पात्रता शर्तों के अनुरूप पात्र पाये जायेंगे उन्हें **"तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार"** घोषित किया जायेगा।

(सात) तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों के बीच आरक्षित कीमत से अधिक उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्थापना ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे–चरण के लिये आधार मूल्य होगा।

(आठ) (I) आरंभिक कीमत के बोली दस्तावेजों (आरंभिक कीमत बोली) को खोलने के उपरांत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नगामी आरम्भिक कीमत प्रस्थापना के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायेगा और उन श्रेणियों के प्रथम पचास प्रतिशत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार (किसी भिन्नांश को उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जायेगा) या शीर्ष के पांच तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार, इनमें से जो भी उच्चतर हो, दूसरे चरण में भाग लेने के लिए अर्हित बोलीदार के रूप में अर्हित होंगे। केवल अर्हित बोलीदार, नीलामी प्रक्रिया अर्थात ऑनलाईन अग्र नीलामी के दूसरे चरण में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

(II) यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों की संख्या पांच से कम हो, तो सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार के रूप में मान्य किया जायेगा।

(III) दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापना की दशा में, ऐसे

सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये समान श्रेणी में रखा जायेगा और ऐसे मामलों में, ऊपर उल्लिखित पचास प्रतिशत को पचास प्रतिशत धन तकनीकी रूप से अर्हित ऐसे बोलीदारों की संख्या तक बढ़ा दिया जायेगा, जिनकी आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाएं ऐसी समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाओं की संख्या से कम समरूप है।

(नौ) अधिकतम अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करने वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा।

(3) पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार,–

जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी हेतु अधिसूचित कोई भूमि पूर्णतः या अंशतः निजी भूमि हो, ऐसे प्रकरण में किसी बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत प्रस्थापना का प्रकटन किया जायेगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामी हो, को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार किये जाने पर उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु यह कि निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग किये जाने की सूचना नीलामी के लिए रखे गये उक्त क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत के घोषणा की तिथि से सात दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में विफल होता है तो यह मान्य किया जायेगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

(4) यदि नीलामी प्रक्रिया के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण दर्शित करते हुए नीलामी को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।''

7. नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''9क. **इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रकिया.**– (1) समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक निविदा के लिए पूर्व अध्यपेक्षायें,–

(क) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कलेक्टर जिला के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के लिए समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रकिया की पहल कर सकेगा।

(ख) कलेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक निविदा के लिये बोली आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के पूर्व, संबंधित राजस्व एवं वन अधिकारी से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन करेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(2) समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक निविदा के लिये प्रकिया,–

(क) समेकित अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता,–

(एक) समेकित अनुज्ञप्ति की इलेक्ट्रॉनिक निविदा में भाग लेने के लिये, आवेदक नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।

(दो) निविदा में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण निविदा में भाग लेने के लिये पात्रता हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और ऐसे पात्र बोलीदारों को तकनीकी अर्हित बोलीदार कहा जायेगा। सफल बोलीदार का

विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक निविदा,–

(एक) निविदा केवल ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित की जायेगी।

(दो) कलेक्टर, ऐसे किसी ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेगा, जो कि मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक –उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

(ग) बोली लगाने के लिये मानक,–

(एक) एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे आरक्षित कीमत कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

(दो) बोलीदार द्वारा "नीलामी राशि" के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी के लिये निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर/टन/अन्य मानक इकाई आरक्षित कीमत से अधिक राशि उद्धृत की जायेगी।

(तीन) नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष

के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक निविदा की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

(चार) जहां किसी क्षेत्र को एक से अधिक खनिज के लिये इलेक्ट्रॉनिक निविदा द्वारा आवंटित किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी की राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(पांच) उत्खनन् पट्टा अनुदत्त किये जाने के पश्चात्, यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(घ) बोली लगाने की प्रकिया.–

(एक) सक्षम प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये निविदा आमंत्रण की सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक निविदा हेतु सूचना का विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और ऐसी सूचना में इलेक्ट्रॉनिक निविदा के अधीन आने वाले क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,–

(I) संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र की विशिष्टियां, जिसे राजस्व भूमि, वन भूमि और निजी भूमि में विभाजित किया जायेगा; और

(II) क्षेत्र में खोजे गये सभी खनिजों के बाबत् खनिज पदार्थों के साक्ष्यों के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित समाविष्ट होगाः–

(एक) क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन और विवरण;

(दो) संबंधित राजस्व अधिकारियों से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र के राजस्व सर्वेक्षण का विवरण, जिसे वन भूमि, राजस्व भूमि, निजी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(तीन) बोलीदारों को निविदा दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि दी जायेगी।

(चार) बोली लगाने की प्रक्रिया, निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिनों की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। निविदा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर एक इलेक्ट्रॉनिक निविदा की प्रक्रिया होगी।

(पांच) बोलीदार जो उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना देता है उसे अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा।

(छः) दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापना की दशा में, जिस बोलीदार द्वारा पहले बोली प्रस्तुत की गयी हो, उसे अधिमानित बोलीदार घोषित किया जायेगा। लिखित में कारण अंकित करते हुए निविदा को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

(3) पट्टा का क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार– जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा हेतु अधिसूचित कोई भूमि निजी भूमि पूर्णतः या अंशतः हो, ऐसे प्रकरण में किसी

बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत प्रस्थापना का प्रकटन किया जाएगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और जो पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक पट्टा क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार किये जाने पर उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उसका उपयोग किये जाने की सूचना, निविदा के लिए रखे गये क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत की घोषणा के तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में विफल होता है तो यह मान्य किया जाएगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

(4) यदि निविदा के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिये नियत तारीख में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण अंकित करते हुए निविदा को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

8. नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः—

"10. **समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आदेश.**— (1) नीलामी/निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात्, अधिमानित बोलीदार नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति में एक कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और ऐसी कार्यपालन प्रतिभूति की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र जारी करेगा।

(2) आशय पत्र प्राप्त होने पर अधिमानी बोलीदार को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर सफल बोलीदार समझा जाएगा, अर्थात्ः—

(क) पात्रता संबंधी सभी निबंधन एवं शर्तो का अनुपालन;

(ख) सभी सहमतियों, अनुमोदन, अनुज्ञा पत्रों, अनापत्तियों और वैसे ही अन्य दस्तावेजों को जो पूर्वेक्षण संबंधी संक्रियाओं को प्रारंभ करने संबंधी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करना; और

(ग) निजी भूमि के लिए भूमि स्वामी की सहमति; और

(घ) पूर्वेक्षण की योजना प्रस्तुत करना।

(3) उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने पर सफल बोलीदार को सक्षम प्राधिकारी समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा और ऐसी समेकित अनुज्ञप्ति इन नियमों के ऐसे उपबंधो के अधीन रहते हुए होगी जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और उत्खनन पट्टे के लिए लागू हो।

(4) आशय पत्र जारी होने की तिथि से वन भूमि के संबंध में एक वर्ष तथा गैर वन भूमि के संबंध में छः माह के भीतर उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर आशय पत्र को स्वमेव निरस्त मान्य किया जायेगा और सफल बोलीदार द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्यपालन प्रतिभूति राजसात किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि यदि अधिमानी बोलीदार के पास समय के भीतर, उप–नियम (2) की शर्तें पूर्ण नहीं करने का पर्याप्त कारण होने पर, संचालक द्वारा उप–नियम (4) की अवधि में, छः माह की अतिरिक्त कालावधि बढ़ाई जा सकेगी।

(5) समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसे न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं होगा, जिस हेतु उत्खनन पट्टा इन नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जा सकेगा तथा अधिकतम क्षेत्र इन नियमों के अनुसार होगा।

(6) समेकित अनुज्ञप्ति का धारक, समेकित अनुज्ञप्ति के क्षेत्र में पूर्वेक्षण संक्रिया का संचालन करेगा, जिससे खनिज पदार्थो का साक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके, और उसके अधीन बनाये गये नियमो के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि समेकित अनुज्ञप्ति का धारकः

(क) इन नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूर्ण करने में विफल रहता है, तो ऐसे धारक उत्खनन पट्टा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और समेकित अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी।

(ख) इन नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूर्ण करता है अथवा अन्यथा खनिज पदार्थो की विद्यमानता को स्थापित करता है, ऐसा धारक उत्खनन पट्टा प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन करेगाः

परन्तु उत्खनन पट्टा केवल ऐसे क्षेत्र के लिए प्रदान किया जायेगा जिसके लिए खनिज पदार्थो का साक्ष्य पाया गया है और जो उत्खनन संक्रियाओं के लिए आवश्यक हो तथा यह ऐसे अधिकतम क्षेत्र से अधिक नहीं होगा जिसके लिए इन नियमों के अधीन उत्खनन पट्टा प्रदान किया जायेगाः

परन्तु यह और कि समेकित अनुज्ञप्ति के किसी धारक द्वारा कोई अतिरिक्त क्षेत्र, इसमें सुधार होने के पश्चात्, अभ्यर्पित समझा जायेगा।

9. नियम 11 के उप–नियम 3 के पश्चात् निम्नानुसार अतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(4) समेकित अनुज्ञप्ति (पूर्वेक्षण सह उत्खनन पट्टे) की कुल अवधि के लिये प्रदान किया जायेगा जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा उत्खनन पट्टे की अवधि का योग होगा, जो कि इन नियमों के अधीन उक्त खनिजों के लिए विहित है।"

10. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"13. समेकित अनुज्ञप्ति हेतु बोली प्रतिभूति और कार्यपालन प्रतिभूति :

(1) सभी बोलीदार द्वारा नीलामी/निविदा में भाग लेने के लिए क्रमशः अनुसूची पांच एवं छः के अनुसार बोली प्रतिभूति की राशि जमा की जायेगी।

(2) नीलामी/निविदा की समाप्ति के पश्चात् अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने की तिथि से सात दिवस के भीतर अधिमानी बोलीदार अनुसूची पांच/छः में विनिर्दिष्ट राशि का डिमांड ड्राफ्ट अथवा तीन वर्ष की कालावधि के लिए वैध बैंक गारण्टी, कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत

करेगा, जिसे समय–समय पर पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान बढ़ाया ज़ाना सुनिश्चित किया जाना होगा।''

(3) कार्यपालन प्रतिभूति समेकित अनुज्ञप्ति अनुबंध के उपबंधों के अधीन अविलंब लागू की जा सकेगी।

11. नियम 14 के उप–नियम (1) में, शब्द ''किसी आवेदन पत्र पर आदेश पारित किया गया है'', के स्थान पर शब्द ''आदेश पारित किया गया है'' प्रतिस्थापित किये जायें।

12. नियम 15 में शब्द ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति'' जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और समेकित अनुज्ञप्ति'' प्रतिस्थापित किये जायें।

13. अध्याय चार के शीर्षक में शब्द ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा एवं उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की शक्ति'' के स्थान पर शब्द ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, समेकित अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा एवं उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रदान करने की शक्ति'' प्रतिस्थापित किया जाये।

14. नियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''20. **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये शक्ति की सीमा**– (1) अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और समेकित अनुज्ञप्ति नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए, कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन, प्रदान की जाएगी और कॉलम (5) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा आयोजित की जायेगी :–

सारणी

स. क.	स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी	खनिज	स्वीकृति हेतु शक्तियों की सीमा	इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी / इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिये सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	राज्य शासन	अनुसूची–एक	संपूर्ण	संचालक

		के भाग—क एवं भाग—ख में विनिर्दिष्ट खनिज	शक्तियां	
2.	संचालक	अनुसूची—एक के भाग—ग तथा अनुसूची—दो के भाग—क में विनिर्दिष्ट खनिज	जहां आवेदित क्षेत्र दस हेक्टेयर से अधिक हो	कलेक्टर
3.	कलेक्टर	अनुसूची—एक के भाग—ग तथा अनुसूची—दो के भाग—क में विनिर्दिष्ट खनिज	जहां आवेदित क्षेत्र दस हेक्टेयर तक हो	कलेक्टर''

15. **नियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—**

''21. **उत्खनन पट्टे प्रदान करने के लिये शक्ति की सीमा.**— अनुसूची—एक तथा अनुसूची—दो के भाग—क में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए, कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन, प्रदान किया जायेगा और कॉलम (5) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक—नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक—निविदा आयोजित की जायेगी:—

सारणी

स. क.	अनुज्ञप्ति /पट्टा की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी	खनिज	स्वीकृति हेतु शक्तियों की सीमा	इलेक्ट्रॉनिक –नीलामी / इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिये सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	राज्य शासन	अनुसूची–एक के भाग–क एवं भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिज	संपूर्ण शक्तियां	संचालक
2.	संचालक	अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	जहां आवेदित क्षेत्र दस हेक्टेयर से अधिक हो	कलेक्टर
3.	कलेक्टर	अनुसूची–एक के भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	जहां आवेदित क्षेत्र दस हेक्टेयर तक हो	कलेक्टर"

16. नियम 23 में,–

(एक) शब्द "अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए उत्खनन पट्टा प्रदान करने या उनके नवीनीकरण करने के लिए आवेदन प्ररूप–नौ में तीन प्रतियों में किया जायेगा" के स्थान पर शब्द "अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन प्ररूप–नौ में तीन प्रतियों में किया जायेगा" प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) खण्ड (दस) एवं (बारह) में शब्द "या नवीनीकरण" विलोपित किया जाये।

17. नियम 23 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**23क. उत्खनन पट्टा का प्रदान करना** .– (1) उत्खनन पट्टा प्रदान करने की शक्तियां– (क) अनुसूची–एक के भाग–क एवं भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये संचालक द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उत्खनन पट्टा प्रदान करने की शक्ति, राज्य सरकार को होगी।

(ख) अनुसूची–एक के भाग–ग एवं अनुसूची दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये कलेक्टर द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दस हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये उत्खनन पट्टा प्रदान करने की शक्ति संचालक को होगी।

(ग) अनुसूची एक के भाग–ग एवं अनुसूची दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये कलेक्टर द्वारा संचालित इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दस हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए उत्खनन पट्टा प्रदान करने की शक्ति कलेक्टर को होगी।

(2) वर्तमान रियायत धारकों तथा आवेदकों के अधिकार– (क) इस संशोधित नियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिये सभी प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य हो जायेंगे।

(ख) उप–नियम (क) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने की तारीख से निम्नलिखित मान्य होंगे:–

(एक) जहां इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने के पूर्व, किसी भूमि के संबंध में किसी भी खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान की जा चुकी है, वहां पर अनुज्ञप्तिधारी को उस भूमि पर उस खनिज के संबंध में उत्खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारक–

(I) ऐसे भूमि में खनिज पदार्थों के विद्यमान होने को साबित करने के लिए आवश्यक पिटिंग तथा वेधन के माध्यम से पूर्वेक्षण संक्रियायें संचालित की है अथवा उसमें खनिज पदार्थों का होना अन्यथा सिद्ध कर दिया गया है;

(II) इन नियमों के उपबंधो के अधीन अमान्य नहीं हो गया हो; और

(III) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर अथवा संचालक द्वारा विस्तारित कालावधि में जो कि छः माह से अधिक न हो, उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आवेदन करने के लिए असफल नहीं रहा है।

(दो) ऐसे प्रकरणों में जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने के पूर्व, उत्खनन के लिए आशय पत्र (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो), अथवा स्वीकृति आदेश, जारी कर दिया गया है, आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए इस नियम के प्रारंभ होने के 180 दिवस की कालावधि के भीतर अथवा संचालक द्वारा बढ़ाई गई अवधि जो कि छः माह से अधिक नहीं होगी।

(तीन) इन नियमों के नियम 38 के अंतर्गत नवीनीकरण के लिये लंबित आवेदन।

(3) उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक प्रक्रिया–

(क) (एक) यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी या इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए राज्य शासन द्वारा विहित रीति में जहां पर गौण खनिज के लिए खनिज पदार्थों की विद्यमानता स्थापित की गयी हो, ऐसे क्षेत्र को सक्षम प्राधिकारी को स्व–प्रेरणा से चिन्हित, सीमांकित और अधिसूचित करने की शक्तियां होंगी।

(दो) ऐसे क्षेत्रों जो कि उप–खण्ड (एक) में समाहित नहीं है, में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्रों के लिए प्ररूप–एक में आवेदन प्राप्त कर सकेंगे, जहां उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिये गौण खनिज के लिये खनिज पदार्थों की विद्यमानता स्थापित की गयी हो; संचालक द्वारा अनुसूची एक के भाग–क एवं भाग–ख में अन्तर्विष्ट खनिजों के लिये आवेदन प्राप्त किये

जायेंगे और कलेक्टर द्वारा अनुसूची एक के भाग–ग तथा अनुसूची दो के भाग–क में अन्तर्विष्ट खनिजों के लिये आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

(ख) सक्षम प्राधिकारी प्राप्त हुए आवेदनों पर प्राप्ति का समय और दिनांक अंकित करेगा तथा प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति तारीख के साठ दिवस के कालावधि के भीतर यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिये प्रक्रिया आरंभ करेगा। विभागीय वेबसाइट में यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के लिए सूचना को अधिसूचित किया जायेगा। यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु अधिसूचना का विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(ग) राज्य शासन, यदि उसकी राय में यह आवश्यक एवं समीचीन हो तो जिला या जिलों में खनिजों के प्रवर्गों के खनिज निक्षेपों के आकार एवं क्षेत्र के संबंध में निबंधन एवं शर्तें, प्रक्रिया और बोली के मानक विहित करेगा जिसके अधीन इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी अथवा इलेक्ट्रॉनिक–निविदा बुलाई जाएगीः

परन्तु यह कि किसी विशिष्ट खान अथवा खानों को किसी विशेष अंतिम उपयोग के लिए सुरक्षित करने के लिये निर्बंधन एवं शर्तों में जोड़ा जा सकेगा, ऐसी शर्तो के अध्यधीन जिससे केवल ऐसे योग्य, अंतिम उपभोगी को नीलामी में भाग लेने की अनुमति हो।

18. नियम 24 के उप–नियम (4) में, शब्द ''इन नियमों'' के स्थान पर, शब्द ''इन संशोधित नियमों'' प्रतिस्थापित किया जाये।

19. नियम 27 में,–

(एक) पूर्ण विराम चिन्ह ''।'' के स्थान पर, चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) नियम 27 के नीचे, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परन्तु अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिजो, के उत्खनन योजना का अनुमोदन भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा भी किया जायेगा।"

20. नियम 38 में,–

(एक) उप–नियम (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) उप–नियम (1) के नीचे, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परन्तु इस उप–नियम के प्रावधान, इस संशोधन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व, स्वीकृत उत्खनन पट्टे के प्रकरणों में ही लागू होंगे किन्तु नियम 38क के उप–नियम (3) एवं (4) के अन्तर्गत उत्खनन पट्टे की कालावधि में वृद्धि किये गये प्रकरण में लागू नहीं होंगे।"

(तीन) उप–नियम (2) एवं (3) का लोप किया जाये।

21. नियम 38 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**38क. उत्खनन पट्टे की कालावधि** .– (1) इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने की तारीख से तथा उसके पश्चात् अनुसूची एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट समस्त खनिजों के लिये उत्खनन पट्टा पच्चास वर्षों की कालावधि हेतु प्रदान की जायेगी।

(2) इस संशोधन नियम के प्रारंभ होने की तारीख से तथा उसके पश्चात् अनुसूची एक के भाग–क और भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट समस्त खनिजों के लिये उत्खनन पट्टा तीस वर्षों की कालावधि हेतु प्रदान की जायेगी।

(3) ऐसे सभी उत्खनन पट्टे जो कि अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए संशोधन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व जारी किए गए है, उन पट्टों की कालावधि का उसके अंतिम बार किये गये नवीनीकरण की कालावधि के अवसान की तिथि से 31 मार्च, 2020 तक अथवा विगत् नवीनीकरण की कालावधि पूर्ण होने तक अथवा ऐसे पट्टे की स्वीकृति की तारीख से पचास वर्ष की कालावधि, जो भी बाद में हो, तक पट्टे की सभी निबंधन एवं शर्तो के पालन किये जाने के अध्यधीन, विस्तारित किया जायेगा और विस्तारित किया गया समझा जायेगा :

परन्तु पट्टाधारक को इस आशय के पूरक पट्टा अनुबंध के निष्पादन पर उपरोक्त अधिकार प्रदान किया जायेगा जिसे कि इन नियमों के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर निष्पादित किया जायेगा। लिखित कारणों का उल्लेख

करते हुए संचालक को यह शक्ति होगी कि उक्त अवधि में छः माह की अतिरिक्त अवधि की वृद्धि कर सके।

(4) ऐसे सभी उत्खनन पट्टे जो कि अनुसूची–एक के भाग–क और भाग–ग तथा अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए संशोधन नियम के प्रारंभ होने के पूर्व जारी किए गए है, उन पट्टे की कालावधि का उसके अंतिम बार किये गये नवीनीकरण की कालावधि की अवसान की तिथि से 31 मार्च 2020 तक अथवा विगत् नवीकरण की अवधि पूर्ण होने तक अथवा ऐसे पट्टे की स्वीकृति की तारीख से तीस वर्ष की कालावधि, जो भी बाद में हो, तक पट्टे की सभी निबंधन एवं शर्तो के पालन किये जाने के अध्यधीन, विस्तारित किया जायेगा और विस्तारित किया गया समझा जायेगाः

परन्तु पट्टाधारक को इस आशय के पूरक पट्टा अनुबंध के निष्पादन पर उपरोक्त अधिकार प्रदान किया जायेगा जिसे कि इन नियमों के प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर निष्पादित किया जायेगा। लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए संचालक को यह शक्ति होगी कि उक्त अवधि में छः माह की अतिरिक्त अवधि की वृद्धि कर सके।

(5) पट्टा अवधि के समाप्ति के पश्चात्, यदि क्षेत्र में खनिज संसाधनों की उपलब्धता रहती है तो पट्टे को इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रकिया के अनुरूप यथास्थिति, नीलामी या निविदा के माध्यम हेतु रखा जायेगा।''

22. नियम 39 के स्थान पर, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''39. इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से उत्खनन पट्टा का प्रदान किया जाना.– (1) उत्खनन पट्टे की नीलामी के लिए पूर्व अध्यपेक्षाएं.–

(क) इन नियमों के उपबंधो के अधीन सक्षम प्राधिकारी राज्य के भीतर के किसी भी क्षेत्र के संबंध में उत्खनन पट्टा प्रदान करने के लिए नीलामी प्रकिया आरंभ कर सकेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी, नीलामी के संबंध में बोली आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के पूर्व, संबंधित राजस्व एवं वन अधिकारी से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन करेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी के माध्यम से उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उत्खनन पट्टा हेतु इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी के लिए प्रकियाः–

(क) उत्खनन पट्टा के लिए पात्रता–

(एक) उत्खनन पट्टा की नीलामी में भाग लेने के प्रयोजन के लिये, आवेदक नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

(दो) नीलामी में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारण नीलामी में भाग लेने के लिये निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जायेगा और सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल पात्र बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक नीलामी–

(एक) नीलामी केवल ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से दो चरणों में अद्यतन बढ़ते क्रम से संचालित की जायेगी।

(दो) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे किसी आनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेंगे जो मानकीकरण जॉच और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक–उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(ग) बोली लगाने के लिये मानक–

(एक) एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे ''आरक्षित कीमत'' कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

(दो) बोलीदारों द्वारा ''नीलामी राशि'' के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी के लिए निर्धारित रूपये

प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन/अन्य कोई मानक इकाई आरक्षित कीमत से अधिक राशि उद्धृत की जायेगी।

(तीन) जहां किसी क्षेत्र को एक से अधिक खनिजों के लिये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी माध्यम से किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(चार) नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक–नीलामी प्रकिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में नीलामी की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

(पांच) उत्खनन् पट्टा प्रदान किये जाने के पश्चात् यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के प्रयोजन से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(घ) बोली लगाने की प्रकिया–

(एक) सक्षम प्राधिकारी, नीलामी की प्रकिया प्रारंभ करने के लिये नीलामी की सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर करेगा। नीलामी हेतु सूचना का विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जायेगा और ऐसी सूचना में नीलामी के अधीन आने वाले क्षेत्रों के बारे में संक्षिप्त

विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,–

(I) संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र की विशिष्टियां, जिसे राजस्व भूमि, वन भूमि और निजी भूमि के रूप में विभाजित किया जायेगा; और

(II) क्षेत्र में खोजे गए सभी खनिजों से संबंधित खनिज पदार्थो के साक्ष्य के बार में संक्षिप्त विशिष्टियां।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए नीलामी के दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे–

(I) क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन और विवरण;

(II) संबंधित राजस्व अधिकारियों के सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र के राजस्व सर्वेक्षण का विवरण, जिसे वन भूमि, राजस्व भूमि और निजी भूमि के रूप में विभाजित किया जायेगा।

(तीन) बोलीदार को नीलामी के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि प्रदान की जायेगी।

(चार) बोली लगाने की प्रक्रिया, नीलामी की सूचना के प्रकाशन के 21 दिन की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। नीलामी एक उच्चगामी ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी।

(पांच) प्रथम चरण के लिये, बोलीदार को तकनीकी बोली और आरंभिक कीमत प्रस्थापना, जो कि आरक्षित कीमत से अधिक होगी, प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोलीदार द्वारा पात्रता की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए होगा।

(छः) केवल उन्हीं बोलीदारों को जो विहित पात्रता शर्तों के अनुरूप पात्र पाये जायेंगे उन्हें **"तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार"** घोषित किया जायेगा।

(सात) तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों के बीच आरक्षित कीमत से अधिक उच्चतम आरंभिक कीमत प्रस्थापना ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर के लिये आधार मूल्य होगा।

(आठ) (I) आरंभिक कीमत के बोली दस्तावेजों (आरंभिक कीमत बोली) को खोलने के उपरांत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को उनके द्वारा प्रस्तुत निम्नगामी आरम्भिक कीमत प्रस्थापना के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जायेगा और उन श्रेणियों के प्रथम पचास प्रतिशत तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार (किसी भिन्नांश को उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित किया जायेगा) या शीर्ष के पांच तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदार, इनमें से जो भी उच्चतर हो, दूसरे दौर में भाग लेने के लिए अर्हित बोलीदार के रूप में अर्हित होंगे। केवल अर्हित बोलीदार नीलामी प्रक्रिया अर्थात् ऑनलाईन अग्र नीलामी के दूसरे चरण में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

(II) यदि तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों की संख्या पांच से कम हो, तो सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार के रूप में मान्य किया जायेगा;

(III) दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापना की दशा में, ऐसे सभी तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों को अर्हित बोलीदार का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये समान श्रेणी में रखा जायेगा और ऐसे मामलों में, ऊपर उल्लिखित पचास प्रतिशत को पचास प्रतिशत धन तकनीकी रूप से अर्हित ऐसे बोलीदारों की संख्या तक बढ़ा दिया जाएगा, जिनकी आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाएं ऐसी समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापनाओं की संख्या से कम समरूप है।

(नौ) अधिकतम अंतिम कीमत प्रस्थापना प्रस्तुत करने वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा।

(3) पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार– जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी हेतु अधिसूचित कोई भूमि पूर्णतः या अंशतः निजी भूमि हो, ऐसे प्रकरण में किसी बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत प्रस्थापना का प्रकटन किया जायेगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामी हो, को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार किये जाने पर उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु यह कि निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग किये जाने की सूचना नीलामी के लिए रखे गये उक्त क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत के घोषणा की तिथि से सात दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में विफल होता है तो यह मान्य किया जायेगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

(4) पट्टाधारी को प्रथम इंकार का अधिकारः पट्टा की कालावधि समाप्ति पर इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से पट्टा क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी हेतु रखा जायेगा। उक्त पट्टा क्षेत्र के धारक को नीलामी में भाग लेने पर प्रथम इंकार का अधिकार होगा।

(5) यदि नीलामी प्रक्रिया के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण दर्शित करते हुए नीलामी को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।"

23. नियम 39 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"39क. इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से उत्खनन पट्टा प्रदान करना. –(1) उत्खनन पट्टा की निविदा के लिए पूर्व अध्यपेक्षाएं–

(क) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के लिए उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया की पहल कर सकेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी, निविदा के लिये बोली आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के पूर्व, संबंधित राजस्व एवं वन अधिकारी से प्राप्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर ऐसे क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन करेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक निविदा के माध्यम से उत्खनन पट्टा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

(2) उत्खनन पट्टा की इलेक्ट्रॉनिक निविदा के लिए प्रक्रिया–

(क) उत्खनन पट्टा के लिए पात्रता–

(एक) उत्खनन पट्टा की इलेक्ट्रॉनिक–निविदा में भाग लेने के प्रयोजन के लिये, आवेदक को नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करना होगा।

(दो) निविदा में भाग लेने संबंधी पात्रता का अवधारणा निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता हेतु निर्धारित निबंधनों और शर्तो के अनुसार किया जायेगा और ऐसे पात्र बोलीदारों को **तकनीकी अर्हित बोलीदार** कहा जायेगा। सफल बोलीदार का विनिश्चय केवल तकनीकी अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक–निविदा–

(एक) निविदा केवल ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से संचालित की जायेगी।

(दो) कलेक्टर, ऐसे किसी ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का उपयोग कर सकेगा, जो मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणान निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

इलेक्ट्रॉनिक–उपापन पद्धतियों की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूर्ण करता हो।

(ग) बोली लगाने के लिये मानक–

(एक) एक निश्चित कीमत निर्धारित होगी जिसे आरक्षित कीमत कहा जायेगा, जो कि विशिष्ट खनिज के अधिसूचित स्वामिस्व का बीस प्रतिशत होगा; यह राशि निकासी किये गये खनिज के लिए रूपये प्रति घनमीटर/मीट्रिक टन या अन्य कोई मानक इकाई होगी।

(दो) बोलीदार द्वारा "नीलामी राशि" के रूप में राज्य सरकार को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, पट्टा क्षेत्र से निकासी किये जाने वाले खनिज हेतु नीलामी के लिये निर्धारित रूपये प्रति घनमीटर/टन/अन्य मानक इकाई आरक्षित कीमत से अधिक राशि उद्धृत की जायेगी।

(तीन) नीलामी राशि, प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए मासिक आधार पर राज्य शासन को देय होगी। बोलीदार द्वारा उद्धृत और इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया से स्वीकार की गयी दर खनिज निकासी प्रारंभ किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी मूल्य वृद्धि के अध्यधीन होगी तथा इस हेतु जिस वर्ष में निविदा की गयी है, वह आधार वर्ष होगा।

(चार) जहां किसी क्षेत्र की एक से अधिक खनिज के लिये इलेक्ट्रानिक–निविदा द्वारा आवंटित किया जा रहा है, वहां उप–नियम (दो) के अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी की राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(पांच) उत्खनन् पट्टा अनुदत्त किये जाने के पश्चात् यदि कोई एक या अधिक नए खनिजों का पता चलने पर उप–नियम (दो) के

अंतर्गत सफल बोलीदार द्वारा निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा के लिए राज्य शासन को भुगतान किये जाने के उद्देश्य से उद्धृत नीलामी राशि ऐसे प्रत्येक खनिजों के संबंध में भी लागू होगी।

(घ) बोली लगाने की प्रक्रिया—

(एक) सक्षम प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये निविदा आमंत्रण की सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक निविदा हेतु अधिसूचना का विवरण संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और ऐसी सूचना में इलेक्ट्रॉनिक निविदा के अधीन आने वाले क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(I) संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र की विशिष्टियां, जिसे राजस्व भूमि, वन भूमि और निजी भूमि में विभाजित किया जायेगा; और

(II) क्षेत्र में खोजे गये सभी खनिजों से संबंधित खनिज पदार्थों के साक्ष्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे,—

(I) क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन और विवरण;

(II) संबंधित राजस्व अधिकारियों से प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार चिन्हांकित और सीमांकित क्षेत्र के राजस्व सर्वेक्षण का विवरण, जिसे वन भूमि, राजस्व भूमि, निजी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

(तीन) बोलीदारों को निविदा के दस्तावेजों के अध्ययन हेतु नियत कालावधि प्रदान की जायेगी।

(चार) बोली लगाने की प्रक्रिया, निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन की कालावधि के पश्चात् प्रारंभ होगी। इलेक्ट्रॉनिक निविदा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर एक इलेक्ट्रॉनिक निविदा की प्रक्रिया होगी।

(पांच) बोलीदार जो उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना देता है उसे अधिमानी बोलीदार के रूप में घोषित किया जायेगा।

(छः) दो या अधिक तकनीकी रूप से अर्हित बोलीदारों द्वारा प्रस्तुत समरूप आरम्भिक कीमत प्रस्थापना की दशा में, जिस बोलीदार द्वारा पहले बोली प्रस्तुत की गयी हो, उसे अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। लिखित में कारण अंकित करते हुए बोली को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

(3) पट्टा क्षेत्र के पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र के स्वामी को प्रथम इंकार का अधिकार– जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा हेतु अधिसूचित कोई भूमि निजी भूमि पूर्णतः या अंशतः हो, ऐसे प्रकरण में किसी बोलीदार द्वारा दी गयी उच्चतम कीमत प्रस्थापना का प्रकटन किया जायेगा और निजी भूमि के स्वामी जिसने बोली की प्रक्रिया में भाग लिया हो और जो पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक पट्टा क्षेत्र का स्वामी हो, को प्रथम इंकार का अधिकार होगा। उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना को स्वीकार करने के पश्चात ऐसे निजी भूमि के स्वामी को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगा। अन्यथा ऐसे निजी भूमि के स्वामी द्वारा इंकार किये जाने पर उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्थापना वाले बोलीदार को अधिमानी बोलीदार घोषित किया जायेगाः

परन्तु यह कि निजी भूमि के स्वामी द्वारा प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग किये जाने की सूचना, निविदा के लिए रखे गये क्षेत्र के लिए बोले गये उच्चतम कीमत के घोषणा की तिथि से सात कार्य दिवस के भीतर लिखित में देनी होगी। यदि वह उक्त कालावधि के भीतर ऐसा करने में असफल होता है तो यह मान्य किया जायेगा कि उसने अपने प्रथम इंकार के अधिकार का उपयोग कर लिया है।

(4) पट्टाधारी को प्रथम इंकार का अधिकार– पट्टा की कालावधि समाप्ति पर इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से पट्टा क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक निविदा हेतु रखा जायेगा। उक्त पट्टा क्षेत्र के धारक को नीलामी में भाग लेने पर प्रथम इंकार का अधिकार दिया जायेगा।

(5) यदि निविदा के किसी भी चरण में एक ही वैध बोली प्राप्त होती है तो बोली के लिए नियत तिथि में अतिरिक्त सात दिवस की वृद्धि का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा और यदि पुनः एक ही बोली प्राप्त हो तो उसे स्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा। लिखित में कारण दर्शित करते हुए निविदा को किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।''

24. नियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''42. **उत्खनन पट्टा प्रदान करने का आदेश.**– (1) नीलामी/निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार नियम 46 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से एक कार्यपालन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और ऐसी कार्यपालन प्रतिभूति के प्राप्त होने पर, मंजूरकर्ता प्राधिकारी, अधिमानी बोलीदार को आशय पत्र या आदेश जारी करेगा।

(2) आशय पत्र प्राप्त होने पर, अधिमानी बोलीदार को निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर सफल बोलीदार समझा जायेगा, अर्थात्:–

(क) पात्रता संबंधी सभी शर्तो का पालन;

(ख) सभी सहमतियों, अनुमोदन, अनुज्ञा पत्रों, अनापत्तियों और वैसे ही अन्य दस्तावेजों को जो उत्खनन संबंधी संक्रियाओं को प्रारंभ करने संबंधी लागू विधियों के अधीन अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करना;

(ग) निजी भूमि के लिए भूमि स्वामी/स्वामियों की सहमति; और

(घ) नियम 24 के अनुसार तैयार किया गया और अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत करना।

(3) उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने पर मंजूरकर्ता प्राधिकारी द्वारा सफल बोलीदार को उत्खनन पट्टा प्रदान किया

जायेगा और ऐसे उत्खनन पट्टा इन नियमों के ऐसे उपबंधो के अधीन रहते हुए होगा, जो उत्खनन पट्टे को लागू हो।

(4) उत्खनन पट्टा प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसे न्यूनतम क्षेत्र से कम नहीं होगा, जिस हेतु उत्खनन पट्टा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रदान किया जा सके एवं इन नियमों के अनुसार अधिकतम क्षेत्र होगा।

(5) आशय पत्र जारी होने की तिथि से वन भूमि के संबंध में एक वर्ष तथा गैर वन भूमि के संबंध में छः माह के भीतर उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहने पर, आशय पत्र को स्वमेव निरस्त माना जायेगा और सफल बोलीदार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यपालन प्रतिभूति राजसात किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि यदि अधिमानी बोलीदार के पास समय के भीतर, उप–नियम (2) की शर्तें पूर्ण नहीं करने का पर्याप्त कारण होने पर, संचालक द्वारा उप–नियम (5) की कालावधि में छः माह की अतिरिक्त कालावधि बढ़ाई जा सकेगी।''

25. नियम 43 में,–

(एक) शब्द ''या नवीनीकरण'' का लोप किया जाये; और

(दो) सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''सारणी

स. क.	खनिजों के नाम	कालावधि
(1)	(2)	(3)
1	अनुसूची–एक के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	तीस वर्ष
2	अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिज	पचास वर्ष
3	अनुसूची–एक के भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में विनिर्दिष्ट खनिज	तीस वर्ष''

26. नियम 46 के स्थान पर. निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"46. **उत्खनन पट्टा हेतु बोली और कार्यपालन प्रतिभूति.**– (1) सभी बोलीदारों द्वारा नीलामी/निविदा में अनुसूची पांच एवं छः में उल्लिखित बोली प्रतिभूति राशि, जो भी लागू हो, जमा की जायेगी।

(2) नीलामी/निविदा की समाप्ति के पश्चात् अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने की तिथि से सात दिवस के भीतर अधिमानी बोलीदार अनुसूची पांच/छः में विनिर्दिष्ट राशि का डिमांड ड्राफ्ट अथवा तीन वर्ष की कालावधि के लिए वैध बैंक गारण्टी, कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसे समय–समय पर पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।"

(3) कार्यपालन प्रतिभूति, उत्खनन पट्टा अनुबंध के उपबंधों के अनुसार अविलंब ली जा सकेगी।"

27. नियम 50 में,–

(एक) उप–नियम–(4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

" (4) उत्खनन् पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/समेकित अनुज्ञप्ति का धारक, उस जिले जिसमें उत्खनन संक्रियाएं की जा रही है, के जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को स्वामिस्व का संदाय करने के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट दर से अंशदान का भुगतान करेगा,–

सारणी

स. क.	पट्टे की श्रेणी	जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को अंशदान			
		इन नियमों में संशोधन के पूर्व		इन नियमों में संशोधन के पश्चात्	
		अनुसूची–एक के भाग–ख में खनिज	अनुसूची–एक के भाग–क और भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में खनिज	अनुसूची–एक के भाग–ख में खनिज	अनुसूची–एक के भाग–क और भाग–ग और अनुसूची–दो के भाग–क में खनिज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उत्खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का आवंटन बिना नीलामी के	तीस प्रतिशत	पांच प्रतिशत	तीस प्रतिशत	तीस प्रतिशत

2	उत्खनन पट्टा/ समेकित अनुज्ञप्ति का आवंटन नीलामी के माध्यम से	लागू नहीं	लागू नहीं	दस प्रतिशत	दस प्रतिशत
3	उत्खनन अनुज्ञा पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नही	तीस प्रतिशत"

(दो) उप–नियम–(5) में, शब्द "इस नियम के प्रभावशील होने की तिथि से देय हो", के स्थान पर, अंक एवं शब्द "12 जनवरी 2015 से देय हो" प्रतिस्थापित किया जाये।

28. नियम 51 में,–

(एक) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(खख) नीलामी/निविदा के माध्यम से प्रदान किये गये पट्टे का पट्टेदार अनुमोदित की गयी नीलामी राशि की दर से पट्टा क्षेत्र से प्रति माह निकासी किये गये खनिज के लिए नीलामी राशि का भी भुगतान करेगा।"

(दो) उप–नियम (1) के खण्ड (घ) में,–

(क) शब्द, चिन्ह एवं कोष्टक "खण्ड (क), (ख), (ग)" के स्थान पर, शब्द, चिन्ह एवं कोष्टक "खण्ड (क), (ख), (खख), (ग)" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द तथा चिन्ह "अनिवार्य भाटक, स्वामिस्व तथा भू–तल भाटक" के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह "अनिवार्य भाटक, स्वामिस्व, नीलामी राशि तथा भू–तल भाटक" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) उप–नियम (6) में, शब्द "किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान छः माह की संचयी कालावधि" के स्थान पर, शब्द "एक वर्ष की संचयी कालावधि" प्रतिस्थापित किया जाये।

(चार) उप–नियम (7) में, शब्द "किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान छः माह की संचयी अवधि" के स्थान पर, शब्द "एक वर्ष की संचयी कालावधि" प्रतिस्थापित किया जाये।

(पांच) उप–नियम (28) के खण्ड (क) में, शब्द "भाटक तथा स्वामित्व" के स्थान पर, शब्द "भाटक, स्वामिस्व तथा नीलामी राशि" प्रतिस्थापित किया जाये।

29. नियम 58 में,—

(एक) उप—नियम—(1) में,

(क) खण्ड (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये।

(ख) खण्ड (एक) के नीचे, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि अनुसूची—दो के भाग—क में विनिर्दिष्ट किसी गौण खनिज, सरल क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट खनिजों को छोड़कर, के उत्खनन, निकास और परिवहन के लिए कलेक्टर, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के किसी विभाग अथवा उपक्रम के कार्यों के लिए अथवा किसी कार्य के लिये आवश्यक किसी विनिर्दिष्ट भूमि में उत्खनन, निकास और परिवहन के लिये उत्खनन किसी व्यक्ति को भी उत्खनन अनुज्ञापत्र भी प्रदान कर सकेगा।"

(ग) खण्ड (दो) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(घ) खण्ड (दो) के नीचे, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"परन्तु नियम 58 के उप—नियम (1) के खण्ड (एक) के परन्तुक के मामले में, उपरोक्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

(दो) उप—नियम (2) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) उप—नियम (4) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(गग) अनुसूची—एक के भाग—क में विनिर्दिष्ट खनिजों, सरल क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट खनिजों को छोड़कर, जिसके लिए कलेक्टर द्वारा उत्खनन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्ररूप—तीन ख में कलेक्टर तथा संबंधित अनुज्ञा पत्रधारक के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(गगग) अनुसूची दो के भाग क में अन्तर्विष्ट खनिजों, सरल क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट खनिज को छोड़कर, जिसके लिए कलेक्टर द्वारा उत्खनन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये पट्टेदार द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में दस हजार रूपये की राशि जमा किये जायेंगे।